स्व.श्री जयदेव सतपथी

शासकीय महाविद्यालय

बसना जिला-महासमुन्द (छ.ग.) 493554

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबद्ध

स्थापना 28 जुलाई 1989

मूल्य-25/- मात्र

प्रवेश हेतु विवरण पत्रिका

सत्र - 20 ..... 20 .....

Scanned with CamScanner

क्रमांक -

स्व. श्री जय देव सतपथी शासकीय महाविद्यालय
बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

(महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय)

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 में बसना में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस क्षेत्र की जनता द्वारा विगत कई वर्षो से महाविद्यालय की मांग की जा रही था जिसे पूरा कर शासन ने इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक और प्रगति का सोपान तय किया इस क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। एक लम्बी अवधि तक महाविद्यालय में एकल संकाय बी.ए. में अध्ययन-अध्यापन होता रहा । सत्र 2012-13 में छत्तीसगढ़ शासन नें महाविद्यालय में बी.एस.सी. बायो. समूह और बी.कॉम की कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति दी। इस प्रकार सम्प्रति महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में अध्ययन की सुविधा है । महाविद्यालय को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 2 (F) और 12 (B) की मान्यता प्रदान कर दी है ।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक पर अध्ययन अध्यापन की सुविधा निम्नानुसार है :-

अनिवार्य विषय :-

पर्यावरण अध्ययन :-

प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम :- बी.ए., बी.एस.सी., और बी.कॉम में एक बार पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

आधार पाठ्यक्रम - इसमें दो प्रश्न पत्र है - हिन्दी भाषा और अंग्रेजी भाषा, प्रत्येक संकाय के भाग एक, भाग दो और भाग तीन में यह अनिवार्य है । इन दोनों विषयों का पाठ्यक्रम तीनों संकायों में एक समान होता है और दोनों ही विषयों में अलग-अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक है ।

Scanned with CamScanner

कला संकाय

बी.ए. भाग-1, 2, 3, : वैकल्पिक विषय (कोई तीन विषय चयन करें)

1. हिन्दी साहित्य
2. राजनीति विज्ञान
3. अर्थशास्त्र
4. समाज शास्त्र
5. इतिहास

बी.ए. भाग एक में प्रवेश लेते समय विषय का चयन कर लेने के बाद, भाग दो और तीन में वही विषय अध्ययन करना आवश्यक है । भाग दो और तीन में विषय परिवर्तन की अनुमति नही है ।

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम. भाग-1, 2, 3, : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

विज्ञान संकाय

बी.एस.सी. भाग-1, 2, 3, :

1. रसायन शास्त्र
2. प्राणी विज्ञान
3. वनस्पति विज्ञान

प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा गें बैठन की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपभोग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे।

बी.ए.	भाग-1	-	240 सीट
	भाग-2	-	200 सीट
	भाग-3	-	160 सीट
बी.एस.सी.	भाग-1	-	080 सीट
	भाग-2	-	080 सीट
	भाग-3	-	080 सीट
बी.कॉम.	भाग-1	-	050 सीट
	भाग-2	-	050 सीट
	भाग-3	-	050 सीट

Scanned with CamScanner

आरक्षण - 21.

प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को विवरण पत्रिका में साथ संलग्न प्रवेश आवेदन पत्र भरकर आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना है । प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त गुणानुक्रमानुसार प्रवेश सूची जारी की जाएगी । प्रत्येक प्रवेश सूची में प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित होगी । प्रवेश सूची में उल्लिखित अंतिम तिथि के पहले अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे । सभी कक्षाओं की प्रवेश समितियां प्रवेश सम्बंधी समस्त सूचनाएँ सूचना-पटल के माध्यम से प्रसारित करेंगी । अतः प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी सम्बंधित प्रवेश सूचनाओं को सूचना पटल में अवलोकन करें तथा प्रवेश समिति से सम्पर्क बनाए रखें ।

1. प्रवेश नियम :-

महाविद्यालय में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिध्दांत के अनुसार दिया जाता है । ये मार्गदर्शक सिध्दांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होते हैं ।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित तिथि तक जमा किए जाएंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर लगाई जाएगी । प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं । नेट से प्राप्त अंकसूची भी मान्य होगा ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारत करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं एवं 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम

Scanned with CamScanner

प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि :-

पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी ।

3. प्रवेश सूची :-

3.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत/अंक सहित पटल पर लगाई जायेगी ।

3.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित कये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी । प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पर "प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द कर दिया जायेगा ।

3.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जायेगा।

3.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब रू. 100/- अशासकीय मद में वसूला जावेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

3.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जायेगा ।

3.6 अस्वीकृत आवेदन पत्रों की कोई सूचना आवेदकों को नहीं दी जावेगी ओर न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार करना संभव होगा ।

Scanned with CamScanner

4. प्रवेश की पात्रता :-

4.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्ध्दशासकीय कर्मचारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायित संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जावेगा । उपर्युक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।

4.2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्ही विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की पात्रता नही होती

5. समकक्ष परीक्षा :-

5.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है ।

5.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशनऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है ।

5. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

6.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु संबध्द विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों या विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जायेगा । आवश्यक हो तो

Scanned with CamScanner

विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

6.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को संबंध्द विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही, उन्ही विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जायेगा ।

6.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है ।

7. अस्थायी प्रवेश :-

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ।

7.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी ।

7.2 उपर्युक्त कंडिका 6 के खण्ड 1 व 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

7.3 पूरक परीक्षा मे अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा ।

8. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

8.1 महाविद्यालय के किसी संकाय की कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र गें आवेदित कक्षा गें नियमित प्रवेश नही लिया हो तो ऐसाा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जायेगा । उसे मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व गे उसने प्रवेश नही लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

8.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा या पूर्व गें छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/गारपीट करने के आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं ।

8.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है ।

Scanned with CamScanner

प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवाएंगे एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायेगा । ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

8.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम में 22 वर्ष व स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी परन्तु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को तीन वर्ष की छूट रहेगी ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी ।

8.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को शासन के नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होगी ।

9. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**

उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से दिया जायेगा ।

9.1 स्नातक में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत/अंको के आधार पर किया जायगा ।

अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी ।

10. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**

10.1 प्रथम वर्ष स्नातक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व, स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा ।

10.2 स्नातक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व स्वाध्यायी परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा

11. **आरक्षण :-**

11.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थियों के लिए क्रमशः 12%, 32% एवं 14% स्थान सुरक्षित है । उपरोक्त समस्त वर्गो में 30% स्थान महिला आवेदकों के लिए आरक्षित है ।

11.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे । विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10% अंको का अधिभार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा ।

12. **अधिभार :-**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जावेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये

Scanned with CamScanner

जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

12.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स संवर्ग के अर्थ में पढ़ा जावे ।

(क)	एन.एस.एस/एस.सी.ए. सर्टिफिकेट	02	प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एस.सी.सी.बी. सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03	प्रतिशत
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04	प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04	प्रतिशत
(ड.)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस के परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05	प्रतिशत
(च)	राज्यपाल स्काउट्स	05	प्रतिशत
(छ)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10	प्रतिशत
(ज)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10	प्रतिशत
(झ)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होनेवाले विद्यार्थियों को ।	10	प्रतिशत

12.2 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर-जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /शेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02	प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04	प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 12-2 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संगठन द्वारा आयोजित अंतर-क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06	प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07	प्रतिशत

Scanned with CamScanner

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्य को 12 प्रतिशत

(ग) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 10 प्रतिशत

12.3 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

12.4 छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

12.5 जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

12.6 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता गें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओ में सीधे प्रवेश दिया जाएगा जिनकी उन्हे पात्रता है तथापि ।

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रो को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ।

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है । इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध माना गया है । अतः कोई भी छात्र/छात्रा रैगिंग जैसी गतिविधियों में पया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसके विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा ।

Scanned with CamScanner

अतः समस्त छात्र/छात्राएं इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें । इस हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को शपथ पत्र देना होगा ।

महाविद्यालय में विभिन्न सुविधाएँ

1- पुस्तकालय :- महाविद्यालयमें पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है, समस्त विद्यार्थी इसका सदुपयोग करें ।

2- खेलकूद :- महाविद्यालय में खेलकूद की सामग्रियाँ उपलब्ध है । एक क्रीडा अधिकारी की देखरेख में खेलकूद की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

3- राष्ट्रीय सेवा योजना :- इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक ईकाई कार्यरत है 100 छात्रों की एक ईकाई है । इस योजना के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व विकास का कार्य किया जाता है ।

4- परिचय पत्र :- प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य हैं । इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखेंगे और किसी भी प्राध्यापक या महाविद्यालय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करेंगे ।

5- शुल्क :- शासन ने छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट दिया है, तथा बी.पी.एल. श्रेणी के छात्र/छात्राओं को जनभागीदारी शुल्क से छूट दी गई है । इसके लिए प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

आचरण संबंधी नियम एवं निर्देश

1- महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा से आशा की जाती है कि वह महाविद्यालय गरिमा के अनुकूल आचरण करेगा और स्वतः प्रेरणा से अनुशासित रहेगा ।

2- प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार से सहपाठियों, शिक्षकों कर्मचारिओं से नम्रता का व्यवहार करेगा एवं अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय भाव का प्रयोग नहीं करेगा ।

3- यदि छात्रों को कोई कठिनाई हो तो वे संबंधित प्राध्यापक या प्राचार्य के समक्ष शिष्टतम पूर्वक अपनी कठिनाई प्रस्तुत करें । विधि विहित होने एवं व्यवहारिक होने पर यथा संभव उनकी कठिनाईयां दूर की जावेगी ।

4- छात्रो से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नही लेंगे एवं बाह्य हस्तक्षेप से महाविद्यालय की मर्यादा की रक्षा करते हुए आंतरिक रूप से अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे ।

5- आशा की जाती है कि प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था अंतर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा आयोजित या अनुमोदित पाठ्येतर गतिविधियों में सहयोग देगा ।

Scanned with CamScanner

6- विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे महाविद्यालय की संपत्ति, भवन, पुस्तकालय एवं फर्नीचर आदि को सुव्यवस्थित सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने में रूचि लेंगे और उनकी व्यवस्था सुधारने में यशाशक्ति सहयोग देंगे ।

7- महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप छात्रों से आशा है कि वे परीक्षाओं में निष्कपटता का आचरण करेंगे और अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

8- छात्रों के सदाचरण का संबंध महाविद्यालय के सम्मान से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है अतः छात्रों को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वे महाविद्यालय के बाहर भी सदाचरण का आदर्श प्रस्तुत करें ।

9- म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन जारी किये गये अध्यादेश क्रमांक (6) के अनुसार महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्रा की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है ।

10- प्रवेश के बाद सत्र दौरान अनुशासहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

11- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने या उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस हीं किया जाएगा ।

12- छात्रवृत्ति फार्म, बीमा फार्म, विश्वविद्यालय नामांकन फार्म आवश्यक अभिलेखों के साथ 15 अगस्त के पूर्व अनिवार्यतः जमा करें ।

13- छात्र/छात्राएं कार्यालयीन कार्य बाहर खिड़की से सम्पादित करें ।

14- गर्ल्स कामन रूम में छात्रों का प्रवेश वर्जित है ।

15- प्रतिदिन परिचय पत्र साथ लेकर आवे ।

16- महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थो का सेवा वर्जित है ।

17- अपना वाहन सायकल स्टैंड पर रखें ।

18- गहाविद्यालय परिसर गें मोबाइल प्रतिबंधित है । इसका अनिवार्य रूप से पालन करें ।

19- शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आवें ।

20- अपने बाहरी मित्रों को प्राचार्य के बिना अनुमति के महाविद्यालय परिसर में लेकर न आवें ।

21- छात्राएँ खाली समय में कामन रूम में बैठें।

जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क

प्राचार्य
स्व.श्री जयदेव सतपथी शासकीय
महाविद्यालय बसना,जि.महासमुन्द(छ.ग.)

Scanned with CamScanner

जनभागीदारी समिति स्व.श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय बसना द्वारा जो भी राशि महाविद्यालय विकास हेतु निर्धारित की जावेगी वह राशि प्रत्येक छात्र/छात्रा को भुगतान करना होगा । बी.पी.एल.प्रमाण पत्र जमा करने पर जनभागीदारी शुल्क में छूट प्रदान किया जावेगा।

विभिन्न शुल्कों का विवरण

अ. शासकीय शुल्क –	राशि
1. शिक्षण शुल्क	115.00
2. लेखन सामग्री शुल्क	2.00
3. प्रवेश शुल्क	3.00
ब. अशासकीय शुल्क –	**राशि**
1. महाविद्यालयीन छात्रसंघ	2.00
2. छात्र कल्याण	5.00
3. परिचय पत्र शुल्क	5.00
4. समामेलित निधि	32.00
5. सोशल गेदरिंग	5.00
6. महाविद्यालय विकास शुल्क	50.00
7. धरोहर राशि	100.00
8. ग्रथालय विकास शुल्क	15.00
9. विवि शारीरिक शिक्षा शुल्क	150.00
10. नामांकन शुल्क	15.00
11. विवि छात्रसंघ शुल्क	1.00
12. अप्रवासन शुल्क	20.00
13. रेडकास शुल्क	25.00
14. प्रायोगिक शुल्क	50.00

छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र	छात्रवृत्ति का प्रकार	दर	आधार
01.	बी.पी.एल. छात्रवृत्ति	स्नातक 300/- रू. प्रतिमाह	
02.	केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति	स्नातक स्तर 10000/- रू.	हायर सेकेण्डरी में 80% से अधिक वाले विद्यार्थियों को केन्द्र शासन द्वारा चयन पर

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
भारत सरकार की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

वर्ग	छात्रावासी दर		गैर छात्रावासी दर	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति – बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.–भाग 1ए 2ए 3 **आय प्रमाण पत्र अ.जा./अ.ज.जा.** ➢ एक लाख पैतालीस हजार तक पूरी पात्रता	570.00		300.00	
अन्य पिछड़ा वर्ग	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.–भाग 1	100.00	1100.00	55.00	70.00
बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.–भाग 2 और 3	1115.00	130.00	70.00	85.00
आय प्रमाण पत्र अ.जा./अ.ज.जा. ➢ एक लाख तक पूरी पात्रता				

टीप :–

1. केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र, योग्यता प्राप्त छात्र/छात्राओं को छ.ग. गाध्–यमिक शिक्षा गण्डल, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के गाध्यग रो आयुक्त उच्च शिक्षा को भेजे जाने चाहिये।
2. अन्य शेष छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यग से आयुक्त उच्च शिक्षा को निर्धारित तिथि के भीतर भेजा जाना चाहिए।
3. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथि महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर घोषित की जावेगी।
4. छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य है, कि पिता/पालक शासकीय या अर्द्धशासकीय सेवाओं में सेवारत नही है तथा प्ररतुत आय प्रमाण पत्र गें समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय शामिल है।
5. छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिए अध्येता को इस बात का प्रगाण पत्र प्ररतुत करना पड़ेगा कि कक्षा गें उसकी उपस्थिति कग नही है ।

Scanned with CamScanner